



प्रेस विज्ञप्ति
21.09.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जयपुर आंचलिक कार्यालय ने लगभग 5.10 करोड़ रुपये के विदेशी चंदे के दुरुपयोग के संबंध में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 के प्रावधानों के तहत 19.09.2026 को जैसलमेर स्थित 02 परिसरों में तलाशी अभियान चलाया। उक्त विदेशी चंदा बेल्जियम स्थित एक संस्था से बिना एफसीआरए पंजीकरण के प्राप्त किया गया था और घोषित उद्देश्यों से इतर अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग किया गया।

ईडी ने फेमा, 1999 के प्रावधानों के तहत जांच एक विशिष्ट खुफिया सूचना के आधार पर शुरू की, जिसके अनुसार जैसलमेर निवासी देउ राम जैसलमेर में समाज के कमजोर वर्गों के बीच धर्म-प्रचार एवं धर्मांतरण संबंधी गतिविधियों के लिए बेल्जियम स्थित संस्थाओं से अवैध रूप से विदेशी धन प्राप्त कर रहा था।

जांच में पता चला कि देउ राम और उसके सहयोगी ज्ञान चंद ने कुल लगभग 5.10 करोड़ रुपये की विदेशी धनराशि प्राप्त की, जिसे मुख्य रूप से शैक्षिक सेवाओं, सांस्कृतिक एवं मनोरंजन संबंधी गतिविधियों तथा अनिवासी भारतीयों द्वारा परिवार के भरण-पोषण एवं बचत के लिए भेजी गई आवक धनराशि के रूप में दर्शाया गया। इस धनराशि का अधिकांश भाग अमर एएसबीएल (Amar ASBL) से प्राप्त हुआ, जो बेल्जियम के ब्रुसेल्स स्थित एक गैर-लाभकारी संगठन होने का दावा करता है।

तलाशी अभियान के दौरान कई अपराध-संकेती दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य बरामद किए गए। तलाशी के दौरान यह भी पता चला कि अमर एएसबीएल की स्थापना वर्ष 2011 में ब्रुसेल्स में की गई थी और इसका प्रबंधन दो बेल्जियम नागरिकों, जोस गोफिन (Jose Goffinet) और उनके पुत्र सालियन गोफिन (Salian Goffinet) द्वारा किया जाता है। यद्यपि यह संगठन विशेष रूप से जैसलमेर में कार्य करता है, लेकिन इसने भारत में कोई ट्रस्ट या गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) पंजीकृत नहीं कराया है। इसके बजाय, यह पिछले 14-15 वर्षों से देउ राम और ज्ञान चंद के माध्यम से जैसलमेर में गतिविधियां संचालित कर रहा है।

आगे की जांच में पता चला कि देउ राम ने एफसीआरए की अनुमति के बिना, उद्देश्य को गलत दर्शाते हुए अमर एएसबीएल से 5.10 करोड़ रुपये का विदेशी चंदा प्राप्त किया और अंततः इस धनराशि का उपयोग अपने व्यक्तिगत खर्चों के लिए तथा बेल्जियम स्थित संस्था के प्रभाव में, बच्चों को शैक्षिक सेवाएं प्रदान करने की आड़ में समाज के कमजोर वर्गों की सांस्कृतिक एवं धार्मिक मान्यताओं को प्रभावित करने के लिए किया। इस धनराशि में से उसने अपने बैंक खाते से लगभग 2.60 करोड़ रुपये नकद निकाले। इन विदेशी चंदों की प्राप्ति और उनके उपयोग का कोई उचित बही-लेखा या वित्तीय अभिलेख संधारित नहीं किया गया।

प्रथम दृष्टया यह सामने आया है कि देउ राम और ज्ञान चंद, जोस गोफिन तथा सालियन गोफिन के नियमित संपर्क में हैं। जोस गोफिन और सालियन गोफिन प्रत्येक वर्ष 2-3 सप्ताह

के लिए जैसलमेर आते हैं, इन बच्चों के माता-पिता और रिश्तेदारों से मिलते हैं तथा अपनी सांस्कृतिक एवं धार्मिक मान्यताओं और प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए बैठकें एवं धार्मिक सभाएं आयोजित करते हैं।

महत्वपूर्ण रूप से, अमर एएसबीएल से प्राप्त विदेशी धनराशि को बैंकों में विभिन्न उद्देश्य कोड के तहत दर्शाया गया, जिनमें परिवार के भरण-पोषण एवं बचत, शैक्षिक सेवाएं, सांस्कृतिक/मनोरंजन संबंधी सेवाएं, कमीशन एजेंट सेवाएं तथा कर्मचारियों के मुआवजे से संबंधित उद्देश्य शामिल हैं। हालांकि, अमर एएसबीएल को वास्तव में कोई शैक्षिक, सांस्कृतिक या मनोरंजन संबंधी सेवाएं प्रदान नहीं की गईं। इसके बजाय, इस धनराशि का प्रबंधन किया जा रहा था और इसे जैसलमेर में संगठन की गतिविधियों के लिए उपयोग में लाया जा रहा था।

जांच में यह भी पता चला है कि हाल ही में बैंकों द्वारा देउ राम और ज्ञान चंद के खातों में विदेशी धनराशि भेजे जाने से इनकार किए जाने के बाद, जैसलमेर में उनसे संबंधित अन्य व्यक्तियों के व्यक्तिगत बैंक खातों के माध्यम से विदेशी धनराशि भेजने का प्रयास किया गया।

आगे की जांच जारी है।